निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 10 / 2024
दायरा दिनांकः–07.02.2024
निर्णय दिनांकः– 18.11.24

उनवान

1. गजेन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र केसरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघवी गार्डन के सामने छवडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी 4 (ग) 15 तलवंडी कोटा
2. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण 4 (ग) 15 तलवंडी कोटा
3. कौशल्या बाई पुत्री धुलीलाल C/O ओमप्रकाश राजोरिया जाति ब्राहम्ण निवासी 1 जी 46 नवोदय विद्यालय के पास महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0
4. मधु पत्नि राकेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मांगीलाल बीडी कारखाने के सामने पुलिस चौकी के सामने पाटन पोल कोटा
5. मणी बाई धुलीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बृजमोहन जी रिटायर्ड कानूनगों ग्राम लियाडिया जिला बारां (राज0)
6. मोनिका पत्नि दिनेश शर्मा पुत्री भैरूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कर्मा जी की बावडी के पास श्रीजी धाम कॉलोनी मांगरोल रोड बारां जिला बारां (राज0)
7. राकेश कुमारी पत्नि भूवनेश कान्त दाउजी के मन्दिर के पास सकतपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
8. महेन्द्र पुत्र भैरूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 2021 तलवंडी कोटा
9. राजेश पत्नि चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी काला गौरा जी मन्दिर के पास गंगा जी कोटी सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोरपुर (राज0)
10. राजरथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 18.11.24

अभिभाषक उपरिथतः–1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – प्रार्थी
2. श्री मनीष मालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि सुखलाल जी के 2 पुत्र धूलीलाल व हीरालाल थे हीरालाल थे हीरालाल के कोई पुत्र नही था इस कारण से उन्होने ने धूलीलाल के पुत्र सत्यनारायण अप्रार्थी कम 1 को गोद लिया था। हीरालाल जी की जो भी सम्पत्ति थी वह गोद जाते ही अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी में आ गई और हीरालाल जी की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का एक वैध मालिक व वारिस व काबिज अप्रार्थी कम 1 हो गया अर्थात् जो कार उनकी सम्पत्ति पर हीरालाल जी को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार व हक अप्रार्थी कम 1 को प्राप्त हो गया। हीरालाल जी एक मात्र पुत्री चन्द्रा उर्फ कान्ती है। जैसे ही अप्रार्थी कम 1 ने हीरालाल जी के यहां दत्तक ग्रहण कर लिया उसके समस्त अधिकार जायंनदा पिता से समाप्त हो होकर दत्तक पिता की सम्पत्ति में निहित हो गये। धूलीलाल जी प्रार्थी के नाना थे धूलीलाल जी की पुत्री कमलाबाई का पुत्र प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 4 मधू पुत्री है। जैसे ही अप्रार्थी कम 1 हीरालाल जी यहां गोद चला गया तो धूलीलाल जी की समस्त सम्पत्ति पर हक एवं अधिकार उनकी पुत्रीयो का ही शेष रहा किन्तु लालच के वशिभूत अप्रार्थी कम 1 ने धूलीलाल जी की अचल सम्पत्ति को हड़पने की गरज से और अपनी बहनो को उनके हक एव हिस्से से महरूम करने के लिए बंदनियति पूर्वक एक कूटरचित वसीयत नामा धूलीलाल के द्वारा अपने पुत्र संदीप अप्रार्थी कम 2 के नाम निस्पादित करना बताया जो की एक मात्र स्टाम्प पेपर पर है। एंव अपंजीकृत दस्तावेज है। जो कि अपने आप में संदिग्ध व कूटरचित दस्तावेज है जिसकी आई ऑफ लॉ कोई विश्वनियता नहीं है। जब धूलीलाल जी प्रार्थी के नाना एवं अप्रार्थी कम 1 के पिता फौत हो गये तब उक्त वसीयत नामे के जर्ये फौती इन्तकाल खोलने हेतु अप्रार्थी कम 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र राजस्व कर्मचारियो के समक्ष प्रस्तुत किया किन्तु उक्त दस्तावेज को देखने के बाद वसीयत नामा को लेकर राजस्व कर्मचारियो को संदेह हुआ और राजस्व कर्मचारियो ने उक्त वसीयत नामे के आधार पर नामान्तरण नही दर्ज कर यह नोट अंकित कर दिया कि वारिस की जांच के बाद इन्तकाल खोला जावे। क्योकि वसीयत नामा रजिस्टर्ड नहीं है। किन्तु अप्रार्थी कम 1 व 2 ने ग्राम पंचायत भीलवाड़ानीचा से सांठ गांठ कर कूटरचित वसीयत नामे से बिना जांच किये ही धूलीलाल जी अपने पूर्व पिता की आराजी का फौती इन्तकाल अपने पुत्र संदीप के नाम करा दिया जो गैर कानूनी अवैध खिलाफ एंव प्रभाव शून्य है। अप्रार्थी कम 3 ता 9 को अधिकार है कि अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जाल सांजी तरीके से कूटरचित वसीयतनामे से उनके हक व हिस्से की आराजी का नामान्तरण स्वंय के नाम तस्दीक कराया है उसे निरस्त कर माननीय न्यायालय की सहायता से उनके हिस्से की आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाकर अपना हिस्सा कागजाद राज नकल जमांबदी मे पृथक पृथक रूप से अपने हिस्से तक पत्थर गढ़ी कर पैमाईश कर अपना अपना हिस्सा अलग करा लिया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनीष मालव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण संख्या 406 ग्राम भीलवाडा नीचा नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 330 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा में स्थित है। सुखपाल के दो पुत्र धुलीलाल व हीरालाल थे हीरालाल के कोई पुत्र नही था उन्होने धुलीलाल के पुत्र सत्यनारायण को गोद लिया था। हीरालाल की सम्पत्ति सत्यनारायण के गोद पुत्र के आधार पर प्राप्त हुई। तथा पिता की सम्पत्ति में अप्रार्थी क्रम 1 सत्यनारायण का कोई हक अधिकार नही रहा। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा धुलीलाल की सम्पत्ति हडपने के लिए अपने पुत्र संदीप अप्रार्थी क्रम 2 के नाम वसीयतनामा लिखवा लिया जा एक स्टाम्प

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पर है जो अपंजीकृत दस्तावेज है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत वाडा नीचा से अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करा लिया जो र कानूनी अवैध एवं प्रभाव शून्य है प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 3 ता 9 का अधिकार है किवह नामान्तरण को खारिज करा कर विवादित आराजी में उनके हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाकर अपना हिस्सा अलग कराने के अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि मृतक धुलीलाल ने अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी क्रम 2 के नाम वयीयत की गई थी। प्रार्थी को वसीयत नामा खारिज कराने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। वसीयतनामा खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है प्रार्थी को वसीयतनामा खारिज कराये बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकतें है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कूट रचित एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को परेशान करने की नियत से पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 05.03.1986 के अनुसार धुलीलाल के फोत होने पर वसीयतनामा के आधार पर संदीप पुत्र सत्यनारायण ब्राहम्ण के नाम दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थी के अधिकारों का निर्धारण मुल वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों/सबूतो के आधार पर किया जाएगा इस स्तर पर किसी भी प्रकार के स्थगन की आवश्यकता प्रतीत नही होती अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा